<u>प्रपत्र: ख</u>

1.4.2015 को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी औषधालयों पर सूचना संग्रहण हेतु

(प्रपत्र भरने से पूर्व कृपया अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम : _____

पद्धति का नाम		1.4.2014 को विद्यमान औषधालयों की कुल संख्या				2014-15 के दौरान स्थापित किए गए औषधालयों की कुल संख्या (1.4.2014 से 31.3.2015 तक)				1.4.2015 को विद्यमान औषधालयों की कुल संख्या			
		सरकारी	स्थानीय निकाय	अन्य	योग	सरकारी	स्थानीय निकाय	अन्य	योग	सरकारी	स्थानीय निकाय	अन्य	योग
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयुर्वेद	शहरी												
	ग्रामीण												
यूनानी	शहरी												
	ग्रामीण												
सिद्ध	शहरी												
	ग्रामीण												
योग	शहरी												
	ग्रामीण												
प्रा. चिकि.	शहरी												
	ग्रामीण												
सोवा-रिग्पा	शहरी												
	ग्रामीण												
होम्योपैथी	शहरी												
	ग्रामीण												
योग	शहरी												
	ग्रामीण												

हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक:

नाम

फोन/मोबा.

ई-मेल आईडी

प्रपत्र–ख भरने के लिए अनुकरणीय अनुदेश

(1) औषधालय एक ऐसी सार्वजनिक संस्था होती है जो औषधियां या चिकित्सा सहायता प्रदान करती है अथवा किसी अस्पताल, स्कूल या अन्य संस्थान में एक कार्यालय होता है जहां से चिकित्सीय आपूर्तियां, तैयारियां एवं उपचार प्रदान किए जाते हैं। बिना बिस्तर वाले अस्पतालों को औषधालय ही माना जाए।

(2) यदि किसी चिकित्सा पद्धति के अस्पताल में किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का बहिरंग विभाग हो तो उस बहिरंग विभाग को पूर्वोक्त चिकित्सा पद्धति का औषधालय माना जाए। किसी आयुर्वेदिक अस्पताल में आयुर्वेदिक बहिरंग विभाग का होना,आयुर्वेदिक औषधालय नहीं गिना जाएगा। किसी आयुर्वेदिक अस्पताल में यूनानी बहिरंग विभाग को यूनानी औषधालय गिना जाए और इसी प्रकार अन्यों को भी।

(3) यदि कोई संयुक्त अर्थात् एक से अधिक पद्धतियों का औषधालय हो तो उसे प्रत्येक पद्धति का औषधालय माना जाए। उदाहरणार्थ-आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्ध चिकित्सा के संयुक्त औषधालय को 3 औषधालय मानें-एक आयुर्वेदिक औषधालय, 1 यूनानी औषधालय और 1 सिद्ध औषधालय

(4) स्थानीय निकायों का अभिप्रायः उन निकायों से है जो 'स्थानीय स्व-शासन' अर्थात् शहरी स्थानीय निकायों (नगर पंचायत ,नगर पालिकाएं ,शहरी नगर निगम इत्यादि); पंचायती राज संस्थाएं जिला पंचायतें ,ब्लॉक ,तालुका पंचायतें ,ग्राम पंचायतें भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों के अधीन गठित स्थानीय निकायों; भारत के संविधान की छठी अनुसूची द्वारा सूचित स्वायत्त जिला परिषदों एवं स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों तथा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा अधिसूचित स्वायत्त परिषदों/स्थानीय निकायों के तत्वावधान में गठित किए गए हों।

(5) "सरकारी" एवं "स्थानीय निकायों" की श्रेणियों में न आने वाले औषधालय "अन्यों" में शामिल किए जाएंगे।

"अन्य" शीर्षक के अधीन निम्नलिखित शामिल किए जाएं:

(क) सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले अथवा न करने वाले निजी रूप से प्रबंधित औषधालय ।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों (गैर सरकारी संगठनों इत्यादि), न्यासों, सिविल सोसाइटियों इत्यादि के नियंत्रणाधीन औषधालय ।

(6) यदि किसी विद्यमान औषधालय का उन्नयन करके उसे 2014-15 के दौरान अस्पताल बना दिया गया हो तो उसे औषधालयों की सूची से निकाल दें।

(7) कॉलम 5 में दी गई सूचना वही होनी चाहिए जो पिछले वर्ष दी गई थी। यदि इसमें कोई भिन्नता हो तो कृपया उसके कारणों का वर्णन किया जाए।